



2026:AHC:56643

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7441 वर्ष 2026

मथुरा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अनिल कुमार, राहुल पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय सं. - 70

माननीय न्यायमूर्ति सन्तोष राय

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में दायर किए गए दो पूरक हलफनामे रिकॉर्ड पर लिए जाते हैं।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, एस.के. चौधरी, राज्य-प्रतिवादियों के लिए एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह जमानत आवेदन आरोपी-आवेदक मथुरा की ओर से धारा 142 बी.एन.एस., पुलिस स्टेशन कोतवाली शहर, जिला मिर्जापुर के तहत अपराध संख्या 248 वर्ष 2025 में जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. संक्षेप में, एफआईआर में निहित आरोप के अनुसार, एफआईआर में नामित दो आरोपी व्यक्तियों ने मुखबिर की नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आरोपी-आवेदक ने एफआईआर में कथित रूप से कोई अपराध नहीं किया है और इस तथ्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है कि वह सह-आरोपी सनी का पिता है, जिसका नाम एफआईआर में है। आवेदक 22.12.2025 से जेल में बंद है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और आवेदक की कोई विशिष्ट और विशिष्ट भूमिका या तो एफआईआर में या धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज मुखबिर के प्रारंभिक बयान में नहीं सौंपी गई है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मुखबिर ने अपने बाद के बयान में कहा है कि आवेदक ने अपने बेटे सनी को कुछ राशि दी थी और उसे पीड़ित का अपहरण करने के लिए डराया था। यह तर्क दिया जाता है कि पीड़िता को अभी तक बरामद नहीं किया गया है, इसलिए, धारा 180, 183 बीएनएसएस के तहत उसका बयान दर्ज नहीं किया गया है और आवेदक सह-आरोपी सनी का पिता है, जिसका नाम एफआईआर में है। यह भी तर्क दिया जाता है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध पीड़ित की हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार पीड़ित की जन्म तिथि 1-2-2008 है। इसके बाद यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक के पास एक मामले का आपराधिक इतिहास है जिसे आवेदक की ओर से दायर पूरक हलफनामे के पैरा 3 में समझाया गया है। निवेदन यह है कि मुकदमे के निष्कर्ष में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहाई के मामले में उसके न्याय के रास्ते से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए जमानत की मांग की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व-परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी भोग के योग्य नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि, यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

7. ऊपर उल्लिखित पक्षों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ इस तथ्य पर भी विचार करने के बाद कि यद्यपि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है और आवेदक की कोई विशिष्ट और विशिष्ट भूमिका या तो एफआईआर में या धारा 180 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज मुखबिर के प्रारंभिक बयान में नहीं सौंपी गई है, मुखबिर ने अपने बाद के बयान में जो बहुत देर से जांच के दौरान दर्ज किया गया था, कहा गया है कि आवेदक ने अपने बेटे सनी को कुछ राशि दी थी और उसे पीड़ित का अपहरण करने के लिए डराया था, पीड़िता को अभी तक बरामद नहीं किया गया है, इसलिए, धारा 180, 183 बी.एन.एस.एस. के तहत उसका बयान दर्ज नहीं किया गया है और आवेदक सह-आरोपी सनी का पिता है, जिसका नाम एफआईआर में है, रिकॉर्ड पर उपलब्ध पीड़ित की हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार पीड़ित की जन्मतिथि 1.2.2008 है। मुकदमे के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए वह 22.12.2025 से जेल में बंद है; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) मुकदमा 677** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पैराग्राफ संख्या 53 पर विचार करते हुए, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक को उसके प्रस्तुत व्यक्तिगत बांड पर

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जमानत पर रिहा किया जाए और निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारियों को रिहा किया जाए कि: -

- (i) आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को धमकी नहीं देगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक (i) मामले की सुनवाई, (ii) आरोप तय करने और (iii) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसका बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय कानून के अनुसार उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही शुरू करेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान और निवास प्रमाण और जमानतदारों को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

मार्च 19, 2026

आरए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति सन्तोष राय)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”